18 (88)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 163 - दो/1991 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-04-1991- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण 103/1989-90 अपील

हजारी लाल पुत्र रघुनाथ मीना
ग्राम बड़ाखेड़ा तहसील श्योपुर ----आवेदक

विरूद्ध

मंदिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी
वाके कस्वा श्योपुर व्दारा ट्रस्टी
सूर्यप्रकाश गौतम निवासी श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 15 - 12 - 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण 103/1989-90 अपील में पारित आदेश दि. 30.04.91 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार श्योपुर कलॉ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मंदिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी वाके कस्वा श्योपुर के नाम खसरा क्रमांक 219,

185, 189, 191 की भूमि शासकीय पटटेदार के रूप में है किन्तु ट्रस्टीज व्दारा उक्त भूमि को आवेदक के लिये कृषि कार्य हेतु दे दिया है एंव आवेदक व्दारा भूमि पर जबरन कब्जा करके खेती की जा रही है इसलिये आवेदक का मंदिर की भूमि पर से कब्जा हटाया जाकर मंदिर को भूमि वापिस दिलाई जाय। तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 1/1987-88 अ 68 पंजीबद्ध किया तथा दिनांक 29-8-88 को सुनवाई प्रारंभ कर प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 15-9-1998 नियत की गई। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर, श्योपुर कलॉ के समक्ष निगरानी क्रमांक 41/1987-88 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 1991 से निगरानी अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी करने पर प्रकरण क्रमांक 103/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 1991 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि मंदिर निजी है जिसकी भूमि ट्रस्ट व्दारा अनुबंध के आधार पर प्रदान की है जिसके कारण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकता। तहसीलदार व्दारा धारा 248 के तहत की जा रही कार्यवाही अधिकार-विहीन है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि खसरा पंचशाला में भूमि सर्वे कमांक खसरा कमांक 219, 185, 189, 191 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) मंदिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी वाके कस्वा श्योपुर के नाम शासकीय पटटेदार के रूप में अभिलिखित है, जिसे आवेदक व्दारा अनुबंध के आधार पर ट्रस्टीज व्दारा दिया जाना बताया जा रहा है, जबकि अनावेदक ने मंदिर की भूमि पर आवेदक को बेजा कब्जे करने की शिकायत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की है। खसरा पंचशाला के लेखन अनुसार यह तथ्य निर्विवाद है कि भूमि सर्वे कमांक खसरा कमांक 219, 185, 189, 191 मंदिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी वाके कस्वा श्योपुर के नाम शासकीय पटटे की है एंव मूर्ति श्री सत्यनारायण निःशक्त श्रेणी में है, जिस पर आवेदक इसलिये कब्जा होना वे खेती करना बता रहा है कि मंदिर के ट्रस्टीज व्दारा भूमि उसे अनुबंध के आधार पर दी है। ट्रस्टीज मंदिर एंव मंदिर की संपदा की सुरक्षा व्यवस्था हेतु हैं एंव वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री सत्यनारायण जी वाके कस्वा श्योपुर कलॉ के नाम पटटे पर दी गई भूमि है जो मिल्कियत सरकार है। मंदिर की भूमि मिल्कियत सरकार होने से पुजारी या मुजाविर अथवा मंदिर के ट्रस्टटीज मात्र सेवादार (एजेन्ट) होते हैं जिन्हें मंदिर की भूमि का प्रयोग केवल मंदिर एंव मूर्ति की सेवादारी हेतु करना होता है और ऐसा पुजारी या मुजाविर अथवा मंदिर के ट्रस्टटीज मंदिर की शासकीय पटटे की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति के हित में अनुबन्ध करके नहीं दे सकता और ऐसे अनुबंधग्रहीता बेजा-कब्जेदार को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत बेदखल किया जा सकता है। ऐसा ही न्यायिक

दृष्टांत भवूती बनाम भटटा 1985 राजस्व निर्णय 393 हाईकोर्ट तथा महन्त रामचरन दास बनाम मिसरी डी0बी0बोर्ड 1969 रा0नि0 550 में प्रतिपादित हैं। अतएव तहसीलदार श्योपुर कलॉ व्दारा आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत विचारित की जा रही कार्यवाही में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर, श्योपुर कलॉ व्दारा निगरानी कमांक 41/1987-88 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 1991 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 103/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 1991 से तहसीलदार व्दारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 103/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 1991 विधि अनुकूल पाये जाने यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर